



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022022-233696
CG-DL-E-23022022-233696

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 798]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 2022/फाल्गुन 4, 1943

No. 798]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2022/PHALGUNA 4, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2022

का.आ. 827(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4189(अ), तारीख 7 अक्टूबर 2021, भारत के राजपत्र सं. 3846—तारीख 8 अक्टूबर 2021, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्य प्रदेश राज्य में “कांडला- गोरखपुर एल.पी.जी गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील हुजूर जिला भोपाल राज्य मध्य प्रदेश में एल.पी.जी गैस के परिवहन हेतु आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 28 अक्टूबर, 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थीं, और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी

अनुसूची

जिला: भोपाल		राज्य: मध्य प्रदेश			
तहसील	ग्राम का नाम	सर्वे/प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हुजूर	झिरनिया	86	00	09	46
हुजूर	राजीवनगर	172,173,174,175, 176,177,178,179, 180,181	00	19	41
		162,166,170,171	00	22	15
		153,154,155,156, 157,158,159,160, 161, 162,163,164, 166,167,169,170, 171,	00	50	15
हुजूर	बकानिया	646	00	03	85
		265	00	01	74
		490	00	04	37
		491	00	02	83
		379	00	08	19
		386	00	04	12
		387	00	00	20
		388	00	06	81
		391	00	00	20
		394	00	10	37
		377	00	02	27
		395	00	07	65

		396	00	14	06
		373	00	12	79
हुजूर	खौरी	734	00	00	20
		738	00	06	12
हुजूर	कोलूखेड़ी	99	00	01	65
		96	00	20	07
		67	00	00	60
हुजूर	धामनिया	67	00	05	46
		62	00	10	76
		126	00	14	83
		89	00	28	11
		96	00	12	20
हुजूर	रतनपुर	595	00	04	88

[फा. सं. आर-11025(15)/5/2020-ओआर-1/ई-33881]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2022

S.O. 827(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No 4189(E) Dated 7 October 2021 published in the Gazette of the India Gazette No 3846 dated 8 October 2021 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur LPG Gas Pipeline Project” for the transportation of LPG Gas Pipeline Crude Oil in Tehsil Huzur District Bhopal in the state of Madhya Pradesh by IHB Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 28 October 2020 And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Bhopal			State: Madhya Pradesh		
Tehsil	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square meter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Huzur	Jhirniya	86	00	09	46
Huzur	Rajivnagar	172,173,174,175,176,177, 178,179,180,181,	00	19	41
		162,166,170,171	00	22	15
		153,154,155,156, 157, 158, 159,160,161,162,163,164, 166,167,169,170,171,	00	50	15
Huzur	Bakaniya	646	00	03	85
		265	00	01	74
		490	00	04	37
		491	00	02	83
		379	00	08	19
		386	00	04	12
		387	00	00	20
		388	00	06	81
		391	00	00	20
		394	00	10	37
		377	00	02	27
		395	00	07	65
		396	00	14	06
		373	00	12	79
Huzur	Khori	734	00	00	20
		738	00	06	12
Huzur	Kolukhedi	99	00	01	65
		96	00	20	07
		67	00	00	60

Huzur	Dhamaniya	67	00	05	46
		62	00	10	76
		126	00	14	83
		89	00	28	11
		96	00	12	20
Huzur	Ratanpur	595	00	04	88

[F. No. R-11025(15)/5/2020-OR-I/E-33881]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.